प्रेषक,

क्षेत्रीय कार्यालय,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डी0ए0वी0एजूकेशनल एकेडमी
भीमापार सिद्धार्थनगर।

पत्रांक–मा0शि0प0 / मान्यता / 39 दिनांक– 28-04-2018

**विषय–हाईस्कूल 6–10 (नवीन) / हाईस्कूल नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियाम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था **डी0ए0वी0एजूकेशनल एकेडमी भीमापार सिद्धार्थनगर** को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष – 2020 से निम्नलिखित सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एंव अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:–

**सामान्य प्रतिबन्ध**

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जायें।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एंव शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

**विशेष प्रतिबन्ध**

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एंव संचालित नहीं होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25 / 2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

पृष्ठांकन सं0–मा0शि0प0 / मान्यता / दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मण्डल।
3. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

S.M.TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar Siddharthnagar

**कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर**

मई

आदेश संख्या / क0संचा0 / 582-85 / 2018–19 दिनांक 03 ~~अप्रैल~~ 2018

**आदेश / विज्ञप्ति**

क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पत्र संख्या / मा0शि0प0 / मान्यता / 39 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा संस्था डी0ए0वी0एजूकेशनल एकेडमी भीमापार, सिद्धार्थनगर को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में हाई स्कूल 6–10 (नवीन) / हाई स्कूल नवीन की मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति के आधार पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन के इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7 क (क) के अन्तर्गत एक साथ (वनटाईम) मान्यता सभी अनिवार्य विषयों एवं अतिरिक्त विषयों सहित प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा विद्यालय को कक्षा 6 से 10 तक कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2020 में सम्मिलित होने हेतु जनपद विद्यालय कोड–1182 अनुदानित किया जाता है।

डॉ0(राज बहादुर मौर्य)
जिला विद्यालय निरीक्षक
सिद्धार्थनगर

पृ0सं0 / क0संचा0 / / 2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
02. अपर सचिव, मा0शि0प0क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर।
03. संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती मण्डल बस्ती।
04. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0एजूकेशल एकेडमी, सिद्धार्थनगर।

जिला विद्यालय निरीक्षक
सिद्धार्थनगर

S.M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar-Siddharthnagar

**कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर, उ0प्र0**

पत्रांक : /शिविर/ 3131-35 /2014 –15 दिनॉक–30–8–2014

प्रबन्धक,

**डी0ए0वी0 एजूकेशनल अकादमी**
**भीमापार, नौगढ़, सिद्धार्थनगर।**

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

आपके तारीख 31–8–2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं. **डी0ए0वी0 एजूकेशनल, अकादमी, भीमापार,नौगढ़, सिद्धार्थ0**(विद्यालय का नाम,पते सहित) को **तारीख..01–7–2014 से तारीख. 30–6–2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा. प्री प्राइमरी से कक्षा प्राइमरी तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।**

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के निर्धारित प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6.विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

S.M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar-Siddharthnagar

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है , और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

S.M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V Educational Acadmy
Bheemapar - Siddharthnagar

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक B-5/14-15 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)।

पृ0सं0/शिविर/ /2014–15 उसी तिथि को

प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव,उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद ,इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)मण्डल गोरखपुर/बस्ती।
3. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी ...........

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सिद्धार्थनगर (उ0प्र0)।

S. M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar - Siddharthnagar

संख्या–419/79–6–2013–18(23)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँक: 08. मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013, एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तद्नुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

S.M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academy
Bheemapar, Siddharth Nagar

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar - Siddharthnagar

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0/ 8/5/13
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

S. M. TRIPATHI
PRINCIPAL
D. A. V. Educational Academ
Bheemapar, Siddharth Naga

Manager
D.A.V. Educational Acadmy
Bheemapar-Siddharthnagar